राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अण्डर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

सं. एफ 19(04)/परि0वि0/सचि0 शा0/2019/26218 दिनांक : 26/03/2022

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

बिषय :– दिनांक 29/03/2022 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 178

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न है।

यह उत्तर माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।

(विकास जैन)
पीसीओ (सचि0)

विभाग का नाम – परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता – 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या– 178

सदस्य का नाम – श्री विजेन्द्र गुप्ता

दिनांक – 29.03.2022

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>पर्यावरण बस सेवा के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर कुल कितनी प्राइवेट बसें चल रही हैं; रूट वाइज ब्यौरा दें;</td><td>पर्यावरण बस सेवा के अधीन डी टी सी को 918 बसों के परमिट प्राप्त हुए, बसों की उपलब्धता के आधार पर दिनांक 22.11.2020 से 28.02.2022 तक इन बसों का परिचालन डी टी सी द्वारा किया गया।
वर्तमान में कोई भी पर्यावरण बस सेवाएं परिचालित नहीं हैं।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>प्राइवेट बस चलाने का तरीका क्या है तथा इन बसों को चलाने में सरकार कितना व्यय कर रही है;</td><td>दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्राइवेट बसों को किया जाने वाला भुगतान का प्रति किलोमीटर व्यय निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>S.No.</th><th></th><th>AC Buses</th><th>Non-AC Buses</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Standard CNG Buses (Minimum 40 Seats)</td><td>Rs. 54.24</td><td>Rs. 49.42</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Midi CNG Buses (Minimum 30 Seats)</td><td>Rs. 40.97</td><td>Rs. 37.36</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Midi CNG Buses (Minimum 25 Seats)</td><td>Rs. 36.14</td><td>Rs. 32.54</td></tr>
</table>
उपरोक्त किराया दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थापित उच्चस्तरीय कमेटी ने दिल्ली सरकार द्वारा निविदा के माध्यम से, क्लस्टर बसों के लिए प्राप्त किराया दर के दृष्टिगत तय किया, तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित दर पत्र संख्या F.NO.AS/STA/TPT/2021/184/Part File-I/108155 दिनांक : 18.11.2021 के अनुसार पर्यावरण बसों का तय किराया दर के आधार पर परिचालन किया गया।</td></tr>
</table>

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054

ग	प्राइवेट बसों के चलने के कारण डीटीसी को प्रतिदिन कितना घाटा उठाना पड़ रहा है; पूर्ण विवरण दें; और	पर्यावरण स्थिति व कोविड – 19 के संदर्भ में DDMA द्वारा सिटिंग सीमा को कम किए जाने के दृष्टिगत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने हेतू पर्यावरण बस के माध्यम से अतिरिक्त बस सेवा दिल्ली जनता को उपलब्ध कराई गई।
घ	दिल्ली सरकार द्वारा एक भी नई बस को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में न जोड़े जाने के क्या कारण हैं?	वर्ष 2008 के निविदा द्वारा 3125 लो फ्लोर सी एन जी एसी व नान एसी बसें खरीदी गई, जिनकी आपूर्ति वर्ष 2011 तक हुई । इसके पश्चात मार्च 2013 में 500 नान एसी और 125 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को 7,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी सहित खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई । जिसमें 125 एसी बसों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तथा 500 नान एसी बसों की सिंगल बोली प्राप्त हुई। बसों (मुल्य रू 75,97,991/– प्रति बस) और उनकी एएमसी (प्रथम वर्ष दर रू 83.06/– से 12वें वर्ष दर रू 433.08/–प्रति किलोमीटर) के हाई अनरिजनेबल रेटस के कारण यह निविदा रद्ध कर दी गई । अक्टूबर 2013 में 1380 नान एसी स्टैण्डर्ड 900 एमएम फ्लोर हाईट और 345 प्रीमियम एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को 7,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी सहित खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई । जिसमें 345 प्रीमियम एसी बसों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तथा 1380 नान एसी स्टैण्डर्ड 900 एमएम फ्लोर हाईट बसों की सिंगल बोली प्राप्त हुई। Conditional तकनीकी बोली के कारण यह निविदा रद्ध कर दी गई । तत्पश्चात जून 2014 में 1380 नान एसी स्टैण्डर्ड 900 एमएम फ्लोर हाईट सीएनजी बसों को 6,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी सहित खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई । जिसमें बसों के लिए सिंगल बोली प्राप्त हुई, बसों (मुल्य रू 44,63,753/– प्रति बस) और उनकी एएमसी (प्रथम वर्ष दर रू 32.12/– से 10वें वर्ष दर रू 104.98/--प्रति किलोमीटर) के हाई अनरिजनेबल रेटस के कारण यह निविदा रद्ध कर दी गई । मार्च 2018 में 1000 नान एसी स्टैण्डर्ड 900 एमएम फ्लोर हाईट सीएनजी बसों को बिना एएमसी के खरीदने हेतू निविदा प्रकाशित की गई । निपुन मलहोत्रा बनाम दिल्ली सरकार वाले केस में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केवल लो फ्लोर सीएनजी बस

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi

		खरीदने के लिए शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया । जिसकें पश्चात 1000 बसों के लिए सिंगल बोली प्राप्त होने के कारण यह निविदा रद्द कर दी गई। दिल्ली सरकार के केबिनेट निर्णय न. 2713 दिनांक 11.07.2019 के अनुसार जूलाई 2019 में 1000 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों को खरीदने व सितम्बर 2019 में उनके 7,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी हेतू अलग अलग निविदाऐं प्रकाशित की गई । जिसमें 1000 एसी बसों व एएमसी के लिए अलग अलग दो बोलीयां प्राप्त हुई। तकनीकी खामियों के कारण यह निविदाऐं रद्द कर दी गई। तदोपरान्त उपरोक्त केबिनेट निर्णय के अनुसार मार्च 2020 में 1000 नई बीएस– VI एसी लो फलोर सीएनजी बसों को खरीदने व अगस्त 2020 में उनके 7,50,000 किलोमीटर तक की एएमसी हेतू अलग अलग निविदाऐं प्रकाशित की गई । जिसमें 1000 नई बीएस–VI एसी बसों व एएमसी के लिए अलग अलग दो बोलीयां प्राप्त हुई। दिनांक 15.01.2021 को 1000 नई बीएस– VI एसी लो फलोर सीएनजी बसों की सप्लाई एवं दिनांक 29.01.2021/01.02.2021 को उनकी एएमसी के लिए बस निर्माताओं को आर्डर दे दिया था, परन्तु 12.03.2021 को नेता प्रति पक्ष व अन्य सात माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा माननीय उप राज्यपाल को लिखित की गई शिकायत के कारण दिल्ली परिवहन विभाग के दिनांक 11.06.2021 के निर्देशानुसार 1000 बसों की खरीद व उनके एएमसी अनुबंध को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। इसके अलावा माननीय उप राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट देनें के उपरांत बसों की खरीद व उनकी एएमसी के मामले की जांच जारी है ।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(आशीष कुन्द्रा)
प्रधान सचिव सह आयुक्त परिवहन

ASHISH KUNDRA, IAS
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)
Transport Department,
GNCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054